रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 397] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 1970/कार्तिक 11, 1892
No. 397] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 1970/KARTIKA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

### (Department of Industrial Development)

### ORDER

*New Delhi, the 2nd November* 1970

**S.O. 3642/15/IDRA/70.**—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been, or is likely to be substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertakings known as Lakshmiratan Cotton Mills Co. Ltd., Kanpur for which, having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

*Chairman*

(1) Shri H. C. Jain, General Manager, Delhi Cloth & General Mills Ltd., Delhi.

*Members*

(2) Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical) National Textile Corporation.
(3) Shri K. K. Dhar, Managing Director, National Textile Corporation.
(4) Shri G. S. Sial, Chairman, U.P. State Textile Corporation, Lucknow.
(5) Shri C. R. Mehta, Deputy Director, Inspection, Office of the Regional Director, Company Law Board, Kanpur.

*Member-Secy.*

(6) Shri G. A. Sheth, Deputy Director, Regional Member-Secretary Office of the Textile Commissioner, Kanpur.

[No. F. 9(19)-Lic. Pol./70.]

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 2 नवम्बर 1970

**का० आ० 3642/15/आई० डी० आर० ए०/70.**—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

(1) श्री एच० सी० जैन, महा प्रबंधक, दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स लि०, दिल्ली । — अध्यक्ष

(2) श्री एम० जी० मीरचंदानी, निदेशक (तकनीकी), नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन । — सदस्य

(3) श्री के० के० धर, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम — सदस्य

(4) श्री जी० एस० सिंघाल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, लखनऊ । — सदस्य

(5) श्री सी० आर० मेहता, उप-निदेशक, निरीक्षण कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, समवाय विधि बोर्ड, कानपुर । — सदस्य

(6) श्री जी० ए० सेठ, उप निदेशक, वस्त्र आयुक्त, कानपुर का क्षेत्रीय कार्यालय । — सदस्य-सचिव

[सं० एफ० 9(19)-एल० पी०/70]

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970